न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज, ललितपुर।

उपस्थित – श्री मनोज कुमार शुक्ला, एच.जे.एस.

सिविल रिवीजन संख्या– 02 सन 2018

1– मु. सिददीक पुत्र मु. नजीर

2– मु. हमीद पुत्र मु. नजीर

3–मु. हवीव पुत्र मु. नजीर

4– मु. शफी पुत्र मु. नजीर

समस्त निवासीगण तालबेहट तहसील तालबेहट जिला ललितपुर।

-- -- -- निगरानीकर्तागणत/प्रतिवाद सं. 5 ता

बनाम

1–अब्दुल गनी तनय नन्ने खा निवासी चौबयाना तालबेहट तहसील तालबेहट जिला ललितपुर।

2– मुहम्मद शहीद तनय सिकन्दर खां निवासी वडाबाजार/ सब्जी बाजार तालबेहट परगना तहसील तालबेहट जिला ललितपुर।

3– मुहम्मद इस्माईल तनय ईलाहीवख्स निवासी अंजनीनगर तालबेहट नित्र तालबेहट जिला ललितपुर।

-- -- -- रेस्पोन्डेन्टस/वादीगण ।

4– स्टेट आफ यू.पी. द्वारा कलेक्टर ललितपुर।

5–कलेक्टर वेस्टिड पद विद दा मैनेजमेन्ट आफ लेन्उ अन्डर सेक्सन 60 यू.पी. अरवन एरिया जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट 1956

6– नगर पंचायत तालबेहट द्वारा चेयरमेन नगर पंचायत तालबेहट जिला ललितपुर।

7– ग्राम पंचायत खांदी द्वारा प्रधान गांव पंचायत खांदी परगना तहसील तालबेहट जिला ललितपुर।

8– मजीद अहमद तनय सईद अहमद

9– नियमातखां तनय सईद अहमद

10– वहीद तनय अजीज अहमद

11– अनीी तनय अजीज अहमद

समस्त निवासी चौबयाना तालबेहट जिला ललितपुर।

तरतीवी रेस्पोन्डेन्टस/ प्रति. 1 ता 4 एवं 9 व 12

निर्णय

1–यह दीवानी पुनरीक्षण संख्या 02 सन 2018 मु. सिददीक आदि द्वारा विपक्षीगण अब्दुल गनी आदि के विरूद्ध संस्थित किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ललितपुर जिला ललितपुर द्वारा विविध वाद संख्या 44 सन 2014 अव्दुल गनी आदि बनाम स्टेट आफ यू.पी. में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के अन्तर्गत पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15–11–2017 को क्षेत्राधिकार से परे वह मनमाना बताते हुये उसे निरस्त किये जाने की याचना की है।

2–इस पुनरीक्षण पर बल देने हेतु पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार जैन और विपक्षी संख्या 6 नगर पंचायत तालबेहट की ओर से अधिवक्ता श्री कुशलचन्द जैन उपस्थित है। अन्य विपक्षीगण तामीली के पश्चात उपस्थित नही है। उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे मनमाना आदेश पारित किया है और वह आदेश विधि प्राविधानों के अन्तर्गत सही नही है। निगरानीकर्ता द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत मामले में में पहले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के यहां एक वाद विचाराधीन है और उसी दावा से सम्बन्धित यह दूसरा दावा षडयंत्र कर प्रस्तुत किया जा रहा है और विवादित भूमि में अन्यथा हस्तक्षेप किया जा रहा है और यह भी कहा है कि कब्रिस्तान के सन्दर्भ में यह झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का यह भी कहना है कि यह सब तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखे गये लेकिन उन्होंने इन तथ्यों पर विचारण नहीं किया और मामले में पुनः लोक हित वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान कर दी जो पूर्णतया गलत है।

4– निगरानीकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार जैन उपस्थित है जिन्होंने पुनरीक्षण में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति करते हुये कहा है कि न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय में जो दावा संस्थित किया गया उससे सम्बन्धित तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों का बिना ध्यान रखे दूसरा दावा संस्थित करने का आदेश पारित कर दिया जबकि विवादित भूमि वही है और जो वाद कारण दिखाया जा रहा है वह भी उसी प्रकार का है। ऐसी स्थिति में इस पुनरीक्षण को स्वीकार कर आलोच्य आदेश को क्षेत्राधिकार से परे बताते हुये उसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

5– प्रश्नगत मामले में विपक्षी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुशलचन्द जैन द्वारा कहा गया है कि यह विवादित भूमि नगर पंचायत की भूमि है और यह कब्रिस्तान की भूमि कह कर कब्जा करने का प्रयास है और इसी सन्दर्भ में पहले दावा मुकदमा नंबर 93 सन 2009 अब्दुल गनी बनाम नंगर पंचायत तालबेहट भी संस्थित किया गया है और वह अभी भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यह दावा पुनः संस्थित किये जाने की अनुमति दिया जाना पूर्णतया क्षेत्राधिकार से परे था।

6–प्रश्नगत मामले में अन्य विपक्षीगण उपस्थित नहीं है जबकि उन पर तामीला पर्याप्त है और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया और उनकी ओर से कार्यवाही में भाग लेने कोई उपस्थित नहीं है।

7– पक्षकारों को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह दीवानी पुनरीक्षण सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15–11–2017 के विरूद्ध संस्थित किया गया है, जिसमें प्रकरण की कार्यवाही के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 10 सी2 जो आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था वह स्वीकार कर लिया गया । इस प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि को कब्रिस्तान की बताते हुये तथा इसे आराजी संख्या 7307/4 मि.रकवा 6 एकड में स्थित बताते हुये कहा है कि यह एक कब्रिस्तान के रूप में है जिस पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों का सामान्य हित विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यह लोक हित वाद

संस्थित करना चाहते है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी मामले में दावा संस्थित करने की अनुमति दे दी गयी।

8– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी के सन्दर्भ में एक लोक हित वाद न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ललितपुर में विचाराधीन है और मामले में वाद ग्रस्त विषय वस्तु वही है। ऐसे में यदि लोक हित वाद सार्वजनिक सम्पत्ति के सन्दर्भ में यदि पहले से मामला चल रहा है और वह सामान्य व्यक्ति के हित के सन्दर्भ में संस्थित किया गया ऐसे में कोई व्यक्ति यदि पक्ष बनना चाहता है या मुकदमा में भाग लेना चाहता है तो वह उस मुकदमें में पक्षकार बन सकता है, लेकिन पृथक दावा संस्थित करना यह उचित नहीं होगा क्योंकि इससे न्यायालय में वाद बाहुलता होगी । साथ ही साथ न्यायालय से निर्णय अन्तिम नहीं हो पायेगा और न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवजीन) ललितपुर के यहां दावा संस्थित किया गया और वहां से कोई स्थगन प्राप्त नहीं हुआ । ऐसे में दूसरा दावा प्रस्तुत करना विधि की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि यह कार्य विधि प्राविधानों तथा सामान्य प्रक्रिया को निष्प्रयोज्य बनायेगा ।

9–इस प्रकार उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, उस पर अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का सही स्तेमाल नहीं किया और गलत ढंग से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये यह आलोच्य आदेश पारित किया है जो विधि की दृष्टि से उचित नहीं है और न ही न्यायहित में है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में दीवानी पुनरीक्षण संख्या 02/2018 स्वीकार किया जाता है। आलोच्य आदेश दिनांक 15–11–20147 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अबिलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाय तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय प्रेषित की जाये और पक्षकार दिनांक 05–02–2019 को अधीनस्थ न्यायालय में

उपस्थित रहेगें और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र 10 सी2 पर पुनः विधिपूर्ण आदेश निर्णय के आलोक में पारित करे।

दिनाँकः 16-01-2019 (मनोज कुमार शुक्ला)
द्वितीय अपर जिला जज
ललितपुर ।

निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनाँकः 16-01-2019 (मनोज कुमार शुक्ला)
द्वितीय अपर जिला जज
ललितपुर ।